न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व वाद संख्या 88/2014

प्रेमचन्द व अन्य बनाम मुकेश जिन्दल व अन्य

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188,92 अ राज0 कास्त0 अधि01955

में (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1

आदेश दिनांक 16.12.2019

वादीगण की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88,91,92ए, 188 राज0 कास्त0 अधि0 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण को पक्षकार मुर्तिब कर प्रस्तुत किया। प्रतिवादी 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठीत धारा 151 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादी अभिभाषक द्वारा प्रति दिनांक 29.10.2015 को प्राप्त की । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया ।

प्रतिवादीगण के अभिभाषक के द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना में निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत खसरा नंबर 1398/1 एवं 1398/2 के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है। विवादित भूमि जो कस्टोडियन विभाग की भूमि थी कि जिसे विधिनुसार निलामी की गई एवं श्री मातादीन यादव के पक्ष में निलामी के अनुसार राशि जमा करवाये जाने के उपरांत सटिफिकेट जारी किया गया जिसका पंजीयन दिनांक 11.8.1976 को किया गया ताकि दिनांक 8.12.1977 को कब्जा भी सुपुर्द किया गया पजीबद्व सेल सटिफिकेट के अनुसार मातादीन यादव के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 26.11.1978 कर वर्तमान खातेदारी में खातेदार दर्ज किया गया तदनुकूल श्री मातादीन यादव के द्वारा जरिये पंजीकृत बेनामा दिनांक 3.2.2006 को श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री जगन्नाथ एवं मुकेश जिन्दल को बेचान कर कब्जा संभला दिया गया तदनुकूल रामेश्वरलाल पुत्र जगन्नाथ से उसके 1/2 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश जिन्दल के द्वारा जरिये पंजीबद्व बेनामा दिनांक 18.8.2006 को कय की गई तदनुकूल नामान्तकरण संख्या 880 दिनांक 28.5.2007 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष स्वीकृत किया गया, वर्तमान वर्तमान चौसाला जमाबंदी के अनुसार खसरा नबर 1398/1 रकबा 0–19–10 का खातेदार

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 दर्ज है एवं काबिज है तथा खसरा नंबर 1398/1 का शेष भाग रकबा 0–0–5 की भूमि वर्तमान जमाबंदी के अनुसार कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज है। विवादित भूमि के संदर्भ में राजस्व वाद संख्या 79/66 श्री बोदू, पूसा, किस्तूरा पुत्रगण केसा जाति माली बनाम असिस्टेन्ड कस्टोडियन व अन्य राजस्व वाद कि जिस पर न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं दण्डनायक न्यायालय संख्या 1 अजमेर के द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 1.7.1969 को पारित कर विवादित भूमि संदर्भ में वाद निरस्त किया गया निर्णय व डिक्री कि जिसमें यह अदालत उक्त आदेश के सबंध में कोई आदेश देने के लिए सक्षम नही हो सकती व डिसप्लेसड परसन (सीएण्ड आर) एक्ट 1954 की धारा 36 व 27 जिसमें अवरोध स्वरूप के अनुसार भी वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में ही नही है निर्णय व डिक्री दिनांक 1.7.1969 के विरूद्व न्यायालय श्रीमान्राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील संख्या 279/69 अपील प्रस्तुत की गई कि जिस पर निर्णय दिनांक 28.9.1972 के अनुसार अपील निरस्त की गई एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर अजमेर संख्या 1 अजमेर के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 1.7.1969 को यथावत रखा गया वादीगण का वादि निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि के बाबत पूर्ववत राजस्व वाद 79/66 को भी राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही मानते हुए वाद पत्र को निरस्त किया गया कि जिसकी वादीगण को पूर्ण जानकारी थी । विवादित भूमि खसरा नंबर 1398/1 रकबा 0–19–10 अजमेर थोक तेलियान अजमेर से भूमि के संदर्भ में कस्टोडियन विभाग के द्वारा विधिवत निलामी कर प्रतिवादी संख्या 1 के विक्रेता श्री मातादीन यादव के पक्ष में दिनांक 11.8.1976 को सेललेटर जारी किया गया एवं पंजीबद्व करवाया गया कि जिसे भी वाद पत्र के जरिये चुनौती दिये जाने का एवं माननीय न्यायालय के सुनवाई किये जाने का कोई क्षैत्राधिकार ही नही है The Didplaced Persons (Compensation And Rehabiltation) Act 1954 तथा धारा 36 के अनुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील का प्रावधान है ऐसी अवस्था में वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। मातादीन यादव के द्वारा पंजीबद्व बेनामा दिनांक 3.2.2006 को श्री रामेश्वरलाल एवं मुकेश जिन्दल के पक्ष में ताकि श्री रामेश्वरलाल के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश जिन्दल के पक्ष में पंजीबद्व बेनामा दिनांक 18.8.2006 जो कि आज दिवस तक प्रभाव में है ऐसी स्थिति में भी पंजीबद्व बेनामा को माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दिये जाने का कोई प्रावधान नही है दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है इस कारण भी वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नही है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण के द्वारा वाद पत्र कि जिसके पेरा संख्या 6 वाद कारण से सबंधित है परन्तु वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने के संदर्भ में वाद कारण के बाबत इस पैरा में वाद कारण कि दिनाक माह एवं सन ही नही दर्शाये गये वाद कारण ही नही दर्शाया गया प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण को वाद कारण ही उत्पन्न नही हुआ इस कारण भी वादीगण का वाद भी निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त आवेदन पत्र मय खर्चे स्वीकार किया जाकर

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

ीगण का वाद निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित करे। केल प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे (24))17 पेज 145आरएलडब्लू 2018 (2) पेज 1218, एआईआर 1968 पेज 69आरएलडब्लू 2018 (2) पेज 1219, आरबीजे (24) 2017 पेज 144 प्रस्तुत केये।

वादीगण के अभिभाषक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब प्रस्तुत न कर सीधे ही बहस कर निवेदन किया गया कि विवादित भूमि ग्राम थोक तेलियान सवंत 2014–17 की जमाबंदी में 1398/1, रकबा 0–19–15 व खसरा नबंर 1398/2 रकबा 00–16–05 पूसा वलद केसा माली मोरूसी काश्तकार थे एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर बाई ऑफ लॉ खातेदार हो गये । परन्तु प्रतिवादी का नाम गलत दर्ज करने के कारण घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया जो विधि द्वारा वर्जित नही है प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे ।

उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया । अतिम चौसाला जमबांदी 2022–2025 में खसरा नम्बर 1398/1 अन्य खसरा नम्बरान के साथ मोहम्मद हनीफ वल्द मोहम्मद अली मनियार के नाम दर्ज थी । विवादित भूमि भूमि विधिवत कस्टोडियन घोषित कि गई इस आश्य का नामान्तकरण 685 दिनांक 4.7.88 स्वीकृत कर मोहम्मद हनीफ के बजाए महकमा कस्टोडियन विभाग भारत सरकार के नाम दर्ज की गई। तथा भारत सरकार महकमा कस्टोडियन द्वारा उक्त भूमि निलाम किए जाने पर मातादीन यादव वल्द गोपाल सिह यादव के द्वारा निलामी में क्रय की गई। तथा उसके पक्ष में सेल सटिफिकेट जारी किया गया । तथा पंजिबद्व करवाया गया । सेल सटिफिकेट के आधार पर केता मातादीन यादव के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 26.11.78 स्वीकृत कर खातेदार दर्ज किया गया । मातादिन यादव द्वारा उक्त भूमि जरिये पंजिबद्व विक्रय पत्र प्रतिवादी मुकेश जिन्दल एवं रामेश्वरलाल को पंजिबद्व विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा दिया गया तदपश्चात रामेश्वरलाल द्वारा उससे आधे हिस्से की भूमि मुकेश जिन्दल को विक्रय कर दी गई। नामान्तकरण संख्या 880 दिनांक 28.5.2007 उपरोक्त दोनो केताओ के नाम स्वीकृत किया गया था । इस प्रकार उपरोक्त भूमि कस्टोडियन भूमि थी । जिसके केता गण प्रतिवादी है। एवं कस्टोडियन भूमि के सन्दर्भ में वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 46 Administration Of Evacuee Property Act 1955 की धारा 46 के अनुसार कस्टोडियन भूमि के सन्दर्भ में कोई भी विवाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। इस सबंध में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त एआईआर 1968 सुप्रिम कोर्ट पेज 169 पूर्ण रूप से चस्पा होती है इससे पूर्व भी वादीगण के पूर्वज द्वारा न्यायालय सहायक

उप खण्ड अधिकारी
उदयपुर

Scanned by CamScanner

कलक्टर संख्या एक राजस्व वाद संख्या 70/1966 बोदू, पूसा व किस्तुरा पिसरान केसा बनाम असिस्टेट कस्टोडियन व अन्य वर्तमान वाद के आश्य से ही उक्त वाद प्रस्तुत किया गया था । जिसे न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 46 के तहत वर्जित मानते हुए 1 जुलाई 1969 को निरस्त किया गया। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया गया है जो पूर्णतया विधि द्वारा वर्जित है। एवं आदेश 7 नियम 11 के डी जाप्ता दीवानी के प्रावधान पूर्णतया लागू होने के कारण वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.19 12:50:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: